# पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

## विलेज प्रोफाइल

# हिम्मतपुर

ग्राम पंचायत – शरम,
तहसील व ब्लॉक – बिछीवाड़ा
जिला – डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

**गांव का इतिहास** – हिम्मतपुर गाँव कई सदियों से राजे रजवाड़ों के समय से पहले बसा है। कभी-कभी खुदाई में पुराने मिट्टी के बर्तन, औजार, खिलोने आदि भी मिलते हैं। गाँव के वृद्धजन ऐसा कहते हैं कि पुराने समय में गांव के अधिपति राजा का नाम राजपूत ठाकुर दरबार हिम्मत सिंह था। दरबार हिम्मत सिंह जी बापू ने इस गाँव को एक ब्राह्मण को दान दिया था इसलिए गाँव का नाम हिम्मतपुर पड़ गया। इस बात उल्लेख ताम्र पत्र पर था। बाद में ब्राह्मण गुजरात चले गए और यहाँ पर आदिवासी लोग खेती करते और गाँव के अधिपति को अनाज का हिस्सा देते थे।

गाँव में तीन धार्मिक स्थल है जो निम्नानुसार हैं –

1. महाकालिका माताजी
2. मेलड़ी माताजी
3. भाटीजी का मंदिर आधा बना हुआ है।

**गांव का एक परिचय** – डूंगरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर हिम्मतपुर गांव बसा हुआ है जिसकी ग्राम पंचायत शरम और ब्लॉक तथा तहसील बिछीवाड़ा है। गांव की कुल आबादी करीब 671 है। गांव में 4 फले है – डामोर फला, आमलिया फला, मनात फला और तराल फला है। गाँव के आदिवासियों में डामोर, भगोरा, आमलिया, मनात, सुवेरा और दामा उपजातियों के लोग निवास करते हैं। गाँव में राशन की दुकान नहीं है वह शरम में है। गाँव सभा का गठन और शिलालेख 9 जनवरी 2018 को हुआ। पेसा कानून की समझ लगभग करीब 20-30% गाँववासियों को है। महिलाओं को इसकी जानकारी कम है। गांव के पहाड़ियों पर गाँव वालों का कब्जा है। पहाड़ों में खनन नहीं हो रहा है। गाँव से बाजार की दूरी 40 किलोमीटर है। गांव का पोस्ट ऑफिस गांव से 3 किलोमीटर दूर वीरपुर में है। बस स्टैंड हिम्मतपुर में ही है। गांव का पुलिस थाना राम सागड़ा में है जो गांव से 15 किलोमीटर दूर है। कॉलेज के लिए डूंगरपुर जाना पड़ता है जो गांव से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। गरीबी के कारण लोग बच्चों को पढ़ा पाने में भी असमर्थ है। कम उम्र में ही बच्चे परिवार की परवरिश के लिए कमाने के लिए बाहर शहरों मोड़ासा, शामलाजी, हिम्मतनगर में चले जाते कुछ लोग प्रतिदिन काम के लिए आते जाते हैं(सुबह 5 बजे जाते हैं और रात को आठ बजे तक वापस आ जाते हैं)।

**आवागमन की स्थिति** – गांव हिम्मतपुर डूंगरपुर से बिछीवाड़ा मार्ग पर 40 किलोमीटर दूर गुजरात की सीमा पर बसा हुआ है। डूंगरपुर से गाँव के लिए सिर्फ एक बस चलती है जो तीन चक्कर करती है और निजी वाहन जैसे जीप और टेंपो भी चलते हैं। जीप और टेंपो लम्बे इन्तजार के बाद चलते हैं। वो भी पूरा भरने के बाद(ओवेरलोड) होने के बाद चलती है। एक चार-पांच सवारी की क्षमता वाले वाहन में पन्द्रह सौलह सवारी ठूस-ठूस कर भरी जाती है। वहां आने जाने के लिए कच्चे रास्ते हैं। बरसात के दिनों में वहां पैदल चल पाना भी मुश्किल होता है। मुख्य सड़क से गांव में जाने के लिए कोई साधन नहीं चलता है। पैदल या अपने साधन से मुख्य सड़क तक आना पड़ता है।

**स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति** – गांव में दो आंगनवाड़ी है। एक प्राथमिक विद्यालय डामोर फले में है जिसमें 34 बच्चे हैं और अध्यापक मात्र एक है। स्कूल में चार कमरे और एक ऑफिस है। बरसात में स्कूल की छत टपकती है। हिम्मतपुर गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है स्वास्थ्य केंद्र शरम में जहाँ पर ए.एन.एम और स्वास्थ्य कार्यकर्ता पदस्थ है। गंभीर मरीजों हेतु 108 एंबुलेंस को फोन करते हैं और मरीज को बिछीवाड़ा या डूंगरपुर ले जाना पड़ता है। गांव में पशु अस्पताल नहीं है इसलिए पशुओं को इलाज के लिए चिकित्सक को मेवाड़ा से फोन करके बुलाते हैं।

**गांव की समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार हैं-**

**आवागमन की कमी** - हिम्मतपुर जाने के लिए मात्र एक सरकारी रोड़वेज बस चलती है जो मात्र तीन चक्कर करती हैं। कुछ निजी वाहन जैसे ऑटो और जीप चलते हैं वह भी घंटों इंतजार के बाद मिलते हैं और उनमें भी क्षमता से दुगनी सवारिया (ओवर लोड) भरी जाती हैं। वाहन में ऊपर नीचे जहां भी जगह मिलती है सवारिया बिठाते हैं। किसी घटना होने की स्थिति में न तो उन वाहनों का कोई बीमा होता है न ही उन पर किए गए किसी दावे का भुगतान करने के लिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति मिलता है। बरसात के दिनों में आदिवासी फलों में पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। पहाड़ी रास्ते उबड़ खाबड़ हैं, जिनको आर.सी.सी. सड़क या समतल करने की बेहद जरूरत है। अभी वहां केवल पैदल ही आना जाना पड़ता है।

**भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी** - हिम्मतपुर गाँव में कृषि भूमि करीब 200 हेक्टेयर है और गांव का पूरा रकबा लगभग करीब 300 हैक्टेयर है। गांव की समतल जमीन केवल कुछ परिवारों के कब्जे में है और गांव का चरागाह 60 हैक्टेयर और जंगल करीब 60 बीघा है। उसमें से कुछ भूमि पर अभी कुछ लोगों का कब्जा है। गाँव के 60% लोगों के पास जो जमीन है वह पहाड़ों की ढलान पथरीली एवं उबड़-खाबड़/पहाड़ी है जिससे उनके पास कृषि लायक भूमि नहीं है। किसी तरह से बरसात में होने वाली फसल ही पैदा कर पाते हैं सूखा पड़ने पर वह भी नहीं हो पाती है। गांव के समतल जमीन और कुछ पहाड़ियों के ढलान पर खेती होती है लेकिन बाकी खाली पड़ी जमीन और पहाड़ियों के उपयोग का गांव के लोगों के पास किसी भी प्रकार की योजना नहीं है। जमीन और पहाड़ियों को कब्जे में लेकर उसे उसी तरह छोड़ दिया गया है। ज्यादातर पहाड़ियां ना तो उनके नाम है न हीं उनको अभी तक अधिकार पत्र ही मिले हैं। गांव में एक भी एनीकट नहीं है। गांव के खेतों में करीब 15 ट्यूबवेल(निजी) है उनमें मोटर लगा रखी है जो बिजली से चलती है। हिम्मतपुर गांव में लगभग 11 कुंए जो सभी निजी हैं और सात हैंडपंप जिनमें से चार खराब है। एक नहर कोड़ीयागुण बांध से शरम तक आती है मगर उस से हिम्मतपुर के किसी भी परिवार को पानी नहीं मिलता है। छोटे-छोटे नालों की संख्या करीब पांच है। गाँव से माजुम नदी निकलती है लेकिन वह बरसात बाद सूख जाती है उस पर कोई बांध नहीं होने से गाँव के लोगों को उस नदी का कोई विशेष फायदा नहीं होता है। गांव के हेंडपम्प के पीने के पानी में फ्लोराइड और आयरन पाया जाता है। गर्मियों में जलस्तर नीचे चले जाने के कारण लोग गहराईयों वाला पानी पीते हैं जिससे फ्लोराइड की मात्रा और बढ़ जाती और पानी का स्वाद भी खराब हो जाता है। इसके बारे में लोगों की कोई योजना नहीं है। गांव में शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था के लिए कोई आर. ओ. प्लांट नही है। लेकिन स्कूल में एक हेंडपम्प फ़िल्टर वाला है। पानी के प्रबंधन की गांववासियों के पास अभी तक कोई योजना नहीं है। वह सिंचाई के लिए हो, जल स्तर ऊँचा करने के लिए हो अथवा शुद्ध पीने के पानी के लिए हो।

**कृषि और रोजगार की स्थिति** - मनरेगा में पुरुष और महिलाओं की भागीदारी करीब-करीब बराबर है। गांव में सरकारी नौकरी करने वालों की संख्या लगभग 16 है जिनमें अधिकतर शिक्षा विभाग में है। गांव के लोग मक्की, तुअर, उड़द, ज्वार, कपास, चावल, मूंगफली, सरसों, गेहूं, अरेंडा, वरियाली(सौंफ़) और चना आदि उगाते हैं जिसमें से खाने अनाज के लिए धान, गेहूं, मक्का और चना आदि मुख्य फसल उगाते हैं। अनाज 4-5 महीने चलता है साल के बाकी समय उनको अनाज बाजार से खरीदकर खाना पड़ता है। बाकी समय उनको खाने की व्यवस्था के लिए दैनिक मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। गाँव के अधिकांश लोगों की खेती की जमीन पहाड़ी की ढलान, पथरीली एवं उबड़ खाबड़ है, जिससे

बरसात में पैदा होने वाली मात्र एक फसल ही होती है। उनके पास इतनी कृषि भूमि भी नहीं है कि वह लोग सिंचाई की कोई व्यक्तिगत व्यवस्था कर सके। इसलिए वह साल भर में मात्र एक फसल ले पाते हैं। मनरेगा में मजदूरी से आजीविका चलाना कठिन होने से गाँव के युवा राजस्थान के ही उदयपुर/डूंगरपुर अथवा महाराष्ट्र और गुजरात के विभिन्न शहरों में दैनिक मजदूरी के लिए चले जाते हैं। जहां वह 250 से 300 रुपए तक की दैनिक मजदूरी करके अपने परिवार का किसी तरह भरण पोषण करते हैं।

**गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं -**

| संसाधन | हालत | संभावनाएं |
|---|---|---|
| **कृषि भूमि**<br>**चरागाह भूमि**<br>**बिलानाम भूमि** | गांव में समतल, पहाड़ी ढलान, उबड़-खाबड़, पथरीली जमीन तथा पहाड़ है। गाँव का कुल रकबा 250 हेक्टेयर है। उसमें से करीब 200 हेक्टेयर कृषि योग्य है। पहाड़ियों पर केवल बरसात में होने वाली घास होती है जिसे चारे के रूप में लोग काट कर लाते हैं। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है। कुछ खेत की जमीन उपजाऊ भी है। जिसमें धन, गेंहू की खेती करते हैं। कमजोर स्थिति वाले खेत की जमीन में देसी खाद डालते हैं। गांव का चरागाह 60 हैक्टेयर है। उसमें से कुछ भूमि पर अभी कुछ लोगों का कब्जा है। कुछ बिलानाम भूमि कुछ भूमि है। | गांव की कुछ जमीन का समतलीकरण करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर खेत में डालना। तालाब की मिट्टी खेत में डालना और खेत को उपजाऊ बनाना। ट्रैक्टर से खेत में लगभग 1 फीट गहराई की जमीन उलट-पुलट करवाना। इस से उपजाऊ मिट्टी बनती है और उससे पैदावार में बढ़ोतरी होती है। तालाब/उथले- और चौड़े नालों की उपजाऊ मिट्टी से कृषि को भूमि को अधिक उपजाऊ बना करा सकते हैं। गाँव की बेकार पड़ी जमीन को गांव सभा के अधीन करके उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। गाँव में चारागाह के जमीन पर उगने वाली घास से गाँवसभा के हस्तक्षेप द्वारा अत्यंत गरीब गाँव वासियों के मदद की जा सकती है। |
| **जल**<br>तालाब -1<br>कुआं = 11<br>हैंडपंप=7 (इसमें 4 ख़राब)<br>ट्यूबवेल = 15<br>नाले = 5 | गाँव से माजुम नदी निकलती है लेकिन वह बरसात बाद सूख जाती है उस पर कोई बांध नहीं होने से गाँव के लोगों को उस नदी का कोई विशेष फायदा नहीं होता है। गांव में एक छोटा सा तालाब है जो डामोर फले के पास है।<br>गाँव का जल का स्तर नीचे चला गया। हिम्मतपुर गांव में कोई बड़ा नाला नहीं है। गांव में कोई एनीकट भी नहीं है। गांव के खेतों में लगभग 15 ट्यूबवेल है। हिम्मतपुर गांव में लगभग 11 कुंए और 7 हैंडपंप है उनमें से 4 ख़राब हैं। एक नहर है कोड़ीयागुण बांध से शरम गाँव तक आती है मगर उस से हिम्मतपुर किसी | जल की समस्या के हल लिए कोड़ीयागुण बांध से शरम गाँव तक आने वाली नहर के पाने को गाँव तक लाया जा सकता है। वर्षा जल संरक्षण करने से जलस्तर भी ऊंचा हो जाएगा और गांव में गर्मियों में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है। गांव का पानी गाँव में और खेत का पानी खेत में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके, माजूम नदी पर बांध बनाकर जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है और खेतों के सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की जा सकती है। |

| | | |
|---|---|---|
| | भी परिवार को पानी नहीं मिलता है। गाँव के छोटे-छोटे पांच नालों में वर्षा ऋतु में पानी रहता है दीपावली आने पर नाले सूखने लगते है। अधिकतर कुए सूखे पड़े हुए हैं एक-दो कुँए हैं जिनमें पानी पूरे वर्ष रहता है। उनका भी कोई उपयोग नहीं ले रहे हैं। हैंड पंप चलते हैं मगर जल स्तर गहरा होने की वजह से आधे सूखे पड़े हुए हैं। बोरवेल पानी का स्तर भी कम हो गया है। | |
| **जंगल**<br>जंगल की जमीन करीब 60 बीघा है जो वीरपुर और हिम्मतपुर के बीच है। | गांव के जंगल पर वन विभाग का कब्जा है। जंगल की हालत ठीक नहीं है कुछ पेड़ पौधे खत्म हो चुके और कुछ पेड बहुत कम संख्या में बचे हैं। जंगल से लघु वनोपज में तेंदू पत्ता, आंवले, खैर, बिल्व, घास और सीताफल के अतिरिक्त, गौंद और लकड़ी भी लाते हैं। तेंदूपत्ता तोड़ने का काम अप्रैल अंत या मई में शुरू होता है जो 20-25 दिन चलता है उस से भी गाँव वासियों को कुछ आय हो जाती है। जंगल में कुछ महुए के भी पेड़ है पर कम है। कुछ गाँववासी महुए के फलों को कुछ छुट-पुट दूकानदारों को बेचते हैं (जो 15-30 रु. प्रति किलोग्राम बिकता है) और महुए के बीज का तेल भी निकलता है जो घरेलू उपयोग के काम आता है। वन से सूखी लकड़ी मिलती है जो जलाने के काम आती है। कुछ लोग घास भी जंगल से काट कर लाते है। जंगल से शहद भी लाते हैं। जिसे सिर्फ घर में ही काम में लेते हैं। | जंगल पर सामुदायिक वनाधिकार दावा करके गाँव सभा के अधीन करना। के आस-पास पानी रुकने की व्यवस्था होने पर जंगल में आंवला, टीमरु, सीताफल, आम, सागवान और अन्य वृक्ष लगाने से गाँव के लोगों को लघु वन उपज का से आय होगी। तेंदूपत्ता की मजदूरी का भाव बढ़ाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को देंगे। जंगल की रक्षा कर के गांव सभा में प्रस्ताव लेकर जंगल को बचाएंगे। नए पेड़ पौधे लगाएंगे। नया परकोटा बनाकर। वन विभाग से प्रस्ताव पास करवाएंगे। |

**पशुपालन हेतु चारे व चरागाह की कमी** - पशुपालन में लोग गाय, भैंस, बैल और बकरी पालते है और चारे में ज्वार, मक्की का चारा, चावल का चारा और गेहूं का चारा खिलाते है। करीब 15% लोगों के पास अच्छी और उपजाऊ कृषि भूमि होने से चारे की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। बाकी लोगों को चारे के संकट के कारण पशुपालन नहीं हो पाता। केवल कुछ लोगों के पास 1-2 गाय, बैल और बकरियाँ ही पशु के नाम पर हैं। गाय एक से डेढ़ लीटर और भैंस दो लीटर दूध देती है जो केवल बच्चों के पीने के काम आता है। लोगों के लिये पशुपालन भी कर पाना कठिन है क्योंकि उनको चारा चराने की जगह

उनके पास नहीं है। गरीबी के कारण चारा भी खरीद पाने की स्थिती में नहीं हैं। फिर भी गर्मियों में चारे की कमी के कारण जैसे तैसे बाज़ार से चारा खरीद कर खिलाना पड़ता है।

**आजीविका के साधनों की कमी** – खेती और मनरेगा में मजदूरी के अलावा और कोई भी रोजगार का साधन गांव में नहीं है। जिन लोगों के पास खेती ज्यादा है वह लोग कृषि और पशुपालन में लगे हैं। जिनके पास कृषि भूमि कम है उन परिवारों के लोगों को गुजरात के शहरों में दैनिक मजदूरी करने जाना पड़ता है क्योंकि मनरेगा में काम भी कम दिन ही मिलता है। मजदूरी भी 100रु. प्रति दिन से कम ही मिलती है जिससे उनके परिवार का गुजारा हो पाना मुश्किल है।

**सरकारी योजनाओं से वंचितों की स्थिति** – ज्यादातर गांव के लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। गांव में लगभग आधे से ज्यादा लोगों को उज्जवला गैस कनेक्शन नहीं मिले हैं। कई लोगों को सौ दिन काम नहीं मिलने से वह श्रमिक कार्ड से वंचित हैं। कुछ लोगों की पेंशन पाने की उम्र भी हो चुकी है लेकिन पहचान पत्र में उनकी उम्र कम होने से पेंशन नहीं मिल पा रही है। उम्र संशोधन कराने की एक तो जानकारी नहीं है और दूसरा अगर इसके लिए कुछ लोग प्रयास भी करते हैं तो कर्मचारियों द्वारा उनको सहयोग नहीं मिलता। कभी-कभी उनसे इसके लिए शुल्क के अलावा अतिरिक्त पैसे की भी मांग की जाती है। यही हाल राशन की दुकान पर भी है। कुछ लोगों का अंगूठा निशान नहीं मिलने से राशन नहीं मिलता है। कभी कभी राशन की गुणवत्ता खराब होती है। गेहूं के अलावा ना तो उनको चावल और चीनी मिलती है। चीनी सिर्फ अन्योदय राशन कार्ड वालों को देते है वो भी दो तीन महीने में देते है। लोगों को मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता है जिसके कारण लोगों को रात अंधेरे में बितानी पड़ती है। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को पढ़ने की होती है क्योंकि बिजली भी समय से नहीं मिलती है और जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं है उनको तो बहुत परेशानी उठानी पड़ती है।

**गांव सभा द्वारा चिन्हित समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं उनकी वरीयता –**

| क्र.सं. | समस्याएं | सार्वजनिक/ व्यक्तिगत | कारण | समाधान | तात्कालिक/ दीर्घकालिक | वरीयता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **रास्ते की समस्या** | **सार्वजनिक** | जमीनों उबड़-खाबड़ होने के कारण रास्ते की समस्या। बीच बीच में नाले और दर्रे होने के कारण भी समस्या। पंचायत और लोक निर्माण विभाग रास्ते बनाता है लेकिन उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं होने के कारण रास्ते जल्दी खराब हो जाते हैं। | गांव सभा कमेटियों के गठन के बाद जहां जहां रास्ते नहीं है वहां के प्रस्ताव लिए गए हैं और उसे पंचायत की एक्शन प्लान में शामिल करवाने के बाद रास्ते का संकट का समाधान होने की संभावना है। | **तात्कालिक** | |
| 2 | **शिक्षा व्यवस्था** | **सार्वजनिक** | गाँव में बच्चों के शिक्षा का स्तर | इस समस्या के समाधान के लिए | **तात्कालिक** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ठीक नहीं होना** | | एकदम निम्न है क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए न तो अध्यापक है और न हीं कमरे हैं सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता और उनकी शिक्षा नीति के कारण न तो अध्यापकों की नियुक्ति हो पा रही है न ही कमरों का निर्माण हो पा रहा है। | गांव सभा में निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग और जिला अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा और इसके लिए ब्लॉक के अन्य गांवों की भी मदद ली जाएगी। | | |
| 3 | **कृषि संबधी समस्या** | **व्यक्तिगत / सार्वजनिक** | गांव में कृषि योग्य भूमि कम है। सिंचाई की सुविधा भी नहीं है। बरसात का पानी गांव में रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्नत शील बीज और खाद का अभाव है। | खेतों का समतलीकरण, बरसात का पानी रोकने के लिए खेतों की मेड़ बंदी तथा कच्चे चेक डैम का निर्माण और खेत तलावड़ी का निर्माण करना। गांव के नाले में पानी रोकने की योजना। बागवानी पर भी विशेष ध्यान देना। | **तात्कालिक** | |
| 4 | **आवास निर्माण, पेंशन और उसके भुगतान संबधी समस्या** | **व्यक्तिगत** | गरीबी के कारण बहुत से लोग अपने लिए आवास नहीं बना सकते हैं। गांव में जिन लोगों को आवास की बेहद जरूरत है उनके आवास नहीं बने हैं। जो सक्षम लोग हैं उनके आवास बन गए हैं। जिन लोगों के आवास | गांव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण हेतु आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से | **तात्कालिक** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | बन भी गए हैं उनमें से कुछ लोगों का भुगतान नहीं हुआ है। | जोड़ना। बंद पेन्शन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना। | | |
| 5 | **काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना** | **सार्वजनिक** | लोग कई पीढ़ियों से गांव में बसे हैं लेकिन जितनी भूमि पर वह काबिज है उसकी खातेरदारी का हक उनको नहीं मिला है। सरकार की अघोषित नीतियों के कारण राजस्व विभाग ने खातेदारी हक देना बंद कर दिया है। जिसके कारण भविष्य में उनकी जमीन आसानी से छीन जाने का संकट खड़ा हो गया है। | काबिज भूमि पर सामूहिक दावा करना। पट्टे की जमीन जिसकी पैनल्टी राजस्व विभाग ने लेना बंद कर दिया है उसे कोर्ट में जमा करना क्योंकि पेनल्टी नहीं देने से पट्टा खारिज हो जाएगा और धारा 91 के अनुसार काबीज जमीन का नियमन कराना। गाँव सभा द्वारा सबकी फाइल तैयार करके एक साथ राजस्व विभाग में दावे का मुकदमा करना। | **दीर्घकालिक** | |
| 6 | **पेयजल की समस्या** | **सार्वजनिक** | गांव का भू-जल स्तर नीचे चला गया है। गर्मी में 2-3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। गहराई के पानी का स्वाद भी खराब होता है और उसमें फ्लोराइड/आयरन होता है जिस से हड्डियों की बीमारियाँ होती है लोगों को चलते फिरने में परेशानी होती है। | शुद्ध पीने के पानी के लिए बरसात के पानी को रोककर पीने लायक करके पीना। हैंडपंप में आर. ओ. प्लांट लगाना। बरसात के पानी को रोकने की बेहतर योजना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण। | **तात्कालिक** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | **नहर की समस्या** | **सार्वजनिक** | नहर की हालत अच्छी नहीं है। कोड़ीयागुण बांध से नहर आती है जिस से हिम्मतपुर के उपला फला में 10 परिवार को पानी मिलता है। बाकी पूरी हिम्मतपुर गाँव को पानी नहीं मिलता है। कुछ लोग अपनी जमीन देने के लिए राजी नहीं है। | मुख्य नहर सीधी निकालेंगें। कुछ लोग जो अपनी जमीन देने के लिए राजी नहीं है उनको राजी करेंगे। नहीं मानने की स्थिति में रामलाल गडात के घर के पास कांजी/पूना, सोमेश्वर/लालू के घर होता हुआ चामुंडा तालाब से आगे निचला श्मशान घाट होती हुई वाका खांडा तक नहर बनाने का कार्य करवाने का प्रस्ताव लिया है। | **तात्कालिक** | |

**संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण**

| **S- Strengths शक्तियां** | **W- Weakness कमजोरी** | **O- Opportunities अवसर** | **T- Threats चुनौतियां** |
|---|---|---|---|
| **आवागमन -** | डूंगरपुर से हिम्मतपुर गाँव के लिए सड़क है। उस सड़क पर मात्र एक बस चलती है। गाँव की सी.सी. सड़क टूटी-फूटी है। कच्चे रास्ते को आर.सी.सी. नहीं कर्नल पगडंडी को चौड़ा न करना और रास्ता निर्माण हेतु लोगों द्वारा अपनी जमीन न देना। | रास्ते ठीक होने से गांव में साधन आ जा सकते हैं जिससे छोटे मोटे व्यवसाय किए जा सकते हैं। लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी। | मजबूत का कमेटियों गांव ना होना। सरकार तथा पंचायत की उदासीनता और गाँव के लोगों में जागरूकता की कमी। |
| **जल**<br>नाला<br>कुआं<br>बोरवेल<br>हैंड पंप | भू जल-स्तर 200 से 250 फीट नीचे होना। पानी का फ्लोराइड युक्त होना। एनिकट का रिसना। नहर के लिए लोगों का जमीन देने में आना | पुराने एनीकट की मरम्मत और नए एनिकट बनाना। बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए तो गांव में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है | पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्ययोजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | कानी करना। नदी और नाले पर एनीकट न होना। | जिससे सिचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता हैं। | |
| **आजीविका के साधन** | गांव की सभी पहाडियाँ और बहुत सारी जमीन खाली पड़ी हैं, गांव में रोजगार के साधन का अभाव। कृषि उत्पादन की कमी। अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव। | गाँव में खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों पर वृक्षारोपण, चारागाह का अच्छा प्रबंधन, अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन, सब्जी के खेती से आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं। | गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती कीजमीन का अभाव।<br>सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा।<br>उन्नतशील बीज का अभाव। जमीन और पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी। |
| **भूमि** | गांव की खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों का जीविका के साधन के रूप में प्रयोग नहीं होना। गांव की सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना। जंगल पर वन विभाग का कब्जा। | खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। जीविका के साधन के रूप में गौण खनिज को निकलवाना। गांव की सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे को खाली कराना। खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण करवाना। वन पर सामुदायि वनाधिकार का दावा करके गाँव सभा के अधीन करना और जंगल को पुनर्जीवित करना। | सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव।<br>सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा<br>सिंचाई का अभाव खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव। |

**गांव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा –**

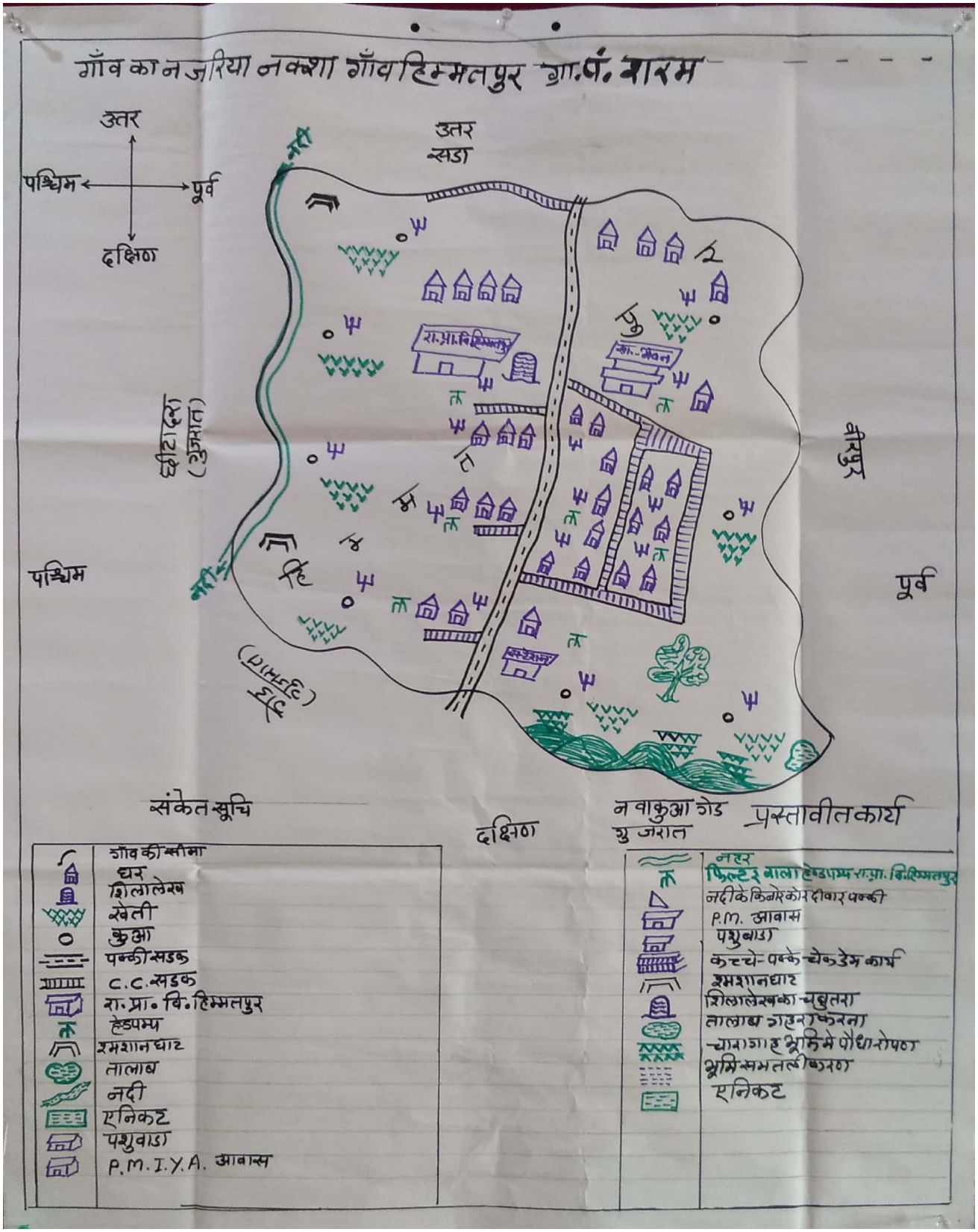


**नजरिया नक्शा हिम्मतपुर**

**गांव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण –**

| प्रस्ताव सं. | प्रस्तावित कार्य | संख्या | लाभार्थी परिवारों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | पेंशन के संबंध में | | |
| | वृद्धा पेंशन नया आवेदन | 17 | 17 |
| | बंद वृद्धा पेंशन फिर से चालू करवाना करवाना | 3 | 3 |
| | विधवा पेंशन | 1 | 1 |
| | विकलांग पेंशन | 1 | 1 |
| 2 | प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास के संबंध में | 16 | 16 |
| | प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास की बकाया किस्त का भुगतान | 10 | 10 |
| 3 | शौचालय निर्माण हेतु नए आवेदन | 55 | 55 |
| | शौचालय निर्माण हेतु बकाया राशि का भुगतान | 4 | 4 |
| 4 | स्कूल के संबंध में<br>1. अध्यापकों की नियुक्ति<br>2. विद्यालय भवन की मरम्मत<br>3. शौचालय निर्माण<br>4. पीने के कारण के लिए शुद्ध पानी हेतु आर.ओ. प्लांट<br>5. स्कूल खेल मैदान पर परकोटा निर्माण | | |
| 5 | राशन दुकान गांव में खोलने के संबंध में<br>राशन दुकान गांव के लिए तराल फला में शंकर पिता माना तराल अपने घर में भवन किराया देने को इच्छुक है | 1 | -- |
| 6. | उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने के संबंध में<br>आमली वाला खेत पर उपस्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाए | 1 | गाँव के समस्त परिवार |
| 7 | रास्ता निर्माण के संबंध में | 6 | गाँव के समस्त परिवार |
| | 1. मुख्य सड़क से कमलेश/रमन डामोर के घर तक सी.सी. सड़क (100 मीटर) | 1 | |
| | 2. रामा पिता भेमा डामोर के घर से माजम नदी तक सी.सी. सड़क (200 मीटर) | 1 | |
| | 3. मुख्य सड़क से आमलिया फला आंगनवाड़ी तक सी.सी. सड़क (500 मीटर) | 1 | |
| | 4. तराल फला सी.सी. सड़क से लालजी /अमरा के घर तक सी.सी. सड़क (100 मीटर)<br>5. डामोर फला से आमलीया फला बालवाड़ी तक सी.सी. सड़क 600 मीटर<br>6. आमलीया फला में सी.सी. सड़क से कांति पिता धूला के घर तक सी.सी. सड़क (200 मीटर) | 1 | |
| 8 | नए हैंडपंप लगाने के संबंध में नए | 4 | -- |
| | पुराने हैंडपंप की मरम्मत के संबंध में मरम्मत | 1 | -- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | चेकडैम कच्चे/पक्के निर्माण | 5 | 5 |
| 10 | एनिकट निर्माण के सम्बन्ध में<br>माजम नदी पर भगोरा फला में नानजी / हलू भगोरा के खेत के पास में | 1 | गाँव के समस्त परिवार |
| 11 | केटेगरी - 4 के अंतर्गत कार्य<br>खेत समतलीकरण, पशुबाड़ा निर्माण,<br>कुआ गहरीकरण, मेडबंदी के सम्बन्ध में | 18 | 18 |
| 12 | केनाल (नहर/नाली) निर्माण<br>वीरपुर से हिम्मतपुर तक (4000मीटर) | 1 | गाँव के समस्त परिवार |
| 13 | पशु चिकित्सालय निर्माण (आमलिया वाला खेत पर) | 1 | -- |
| 14 | वृक्षारोपण के सम्बन्ध में (वृक्षारोपण गाँव की चरनोट भूमि पर)<br>60 बीघा | 1 | -- |
| 15 | बस स्टेंड प्रतीक्षालय की मरम्मत के सम्बन्ध में और<br>बैठने की व्यवस्था करना | 1<br>1 | -- |
| 16 | काबिज भूमि पर गाँव सभा द्वारा व्यक्तिगत दावा करवाने के सम्बन्ध में | 1 | -- |
| 17 | माजम नदी पर भगोरा फला से गुजरात सीमा हिम्मतपुर तक कोर दीवार का निर्माण के सम्बन्ध में | 1 | -- |
| 18 | नशाबंदी के सम्बन्ध में<br>गाँव सभा द्वारा नशा सेवन पर रोक लगाना | 1 | -- |
| 19 | गांव के आपसी विवाद को<br>गांव सभा में निपटाने के संबंध में | 1 | गाँव के समस्त परिवार |

**गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया –**

**हिम्मतपुर गाँव के लोग प्रस्ताव लिखते हुए**

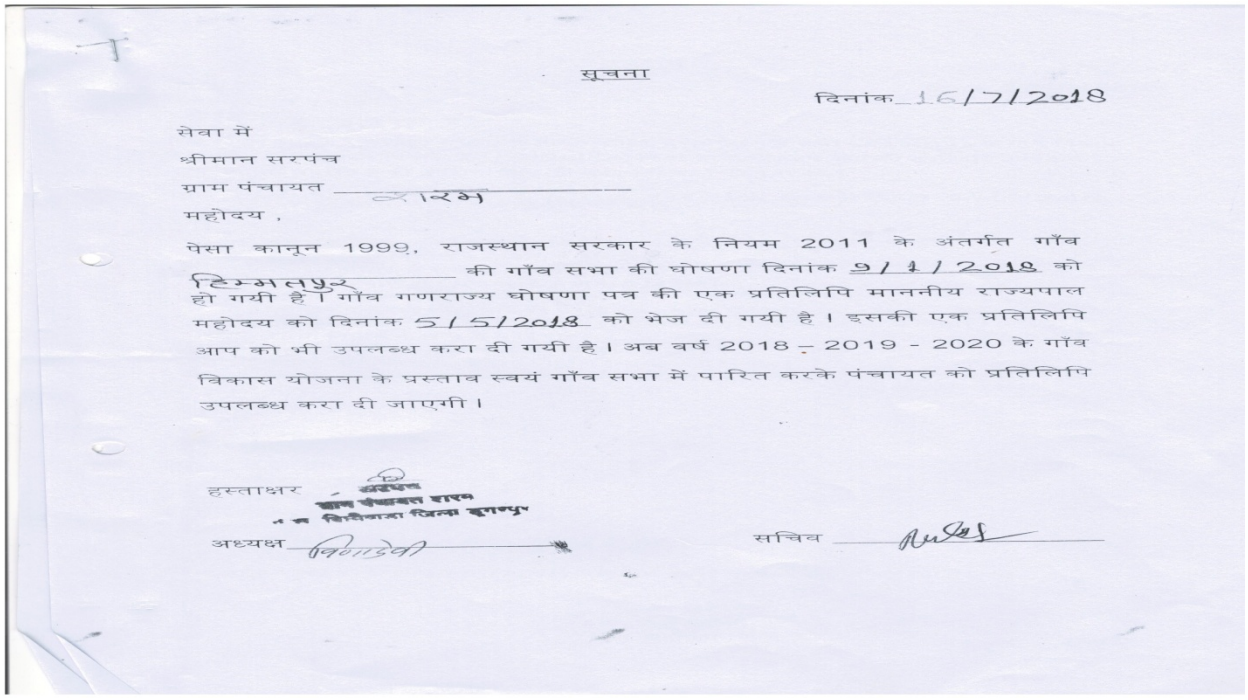

सूचना

दिनांक 16/7/2018

सेवा में
श्रीमान सरपंच
ग्राम पंचायत _____
महोदय ,

पेसा कानून 1999, राजस्थान सरकार के नियम 2011 के अंतर्गत गाँव हिम्मतपुर की गाँव सभा की घोषणा दिनांक 9/1/2018 को हो गयी है। गाँव गणराज्य घोषणा पत्र की एक प्रतिलिपि माननीय राज्यपाल महोदय को दिनांक 5/5/2018 को भेज दी गयी है। इसकी एक प्रतिलिपि आप को भी उपलब्ध करा दी गयी है। अब वर्ष 2018 – 2019 - 2020 के गाँव विकास योजना के प्रस्ताव स्वयं गाँव सभा में पारित करके पंचायत को प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी जाएगी।

हस्ताक्षर

अध्यक्ष _____ सचिव _____

**सूचना**

## सूचनार्थ

16/7/2018

सेवा में
श्रीमान सरपंच व सचिव
ग्राम पंचायत शरम
महोदय ,

दिनांक ~~16/7/2018~~

पेसा कानून 1999, राजस्थान सरकार के नियम 2011 के अंतर्गत गावं सभा हिम्मतपुर के गावं विकास के प्रस्ताव का अनुमोदन दिनांक 28/6/2018 को किया जायेगा जिसमे आप की उपस्तिथि अनिवार्य है। अतः आप से अनुरोध है की उपरोक्त बैठक की अध्यक्षता करने की कृपा करें।

स्थान शिलालेख के पास रा.प्रा.वि. हिम्मतपुर समय 12:00 बजे दिनांक 28/6/2018

एजेण्डा

1. खेत समतलीकरण के सम्बन्ध में विचार।
2. खेत तलावडी निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
3. चेकडैम निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
4. एनिकट निर्माण और मरम्मत के सम्बन्ध में विचार।
5. तालाब निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
6. नए हैंडपंप लगाने और पुराने की मरम्मत के सम्बन्ध में विचार।
7. नए कुए के निर्माण और पुराने कुए के गहरीकरण व मरम्मत के सम्बन्ध में विचार।
8. रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
9. पशुबाडा निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
10. पी.एम. और सी. एम. आवास निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
11. पेंशन – वृद्धा , विधवा, विकलांग, एकल नारी, पालनहार के सम्बन्ध में विचार।
12. अन्य ..................................................

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. सरपंच
2. सचिव
3. ए.एन.एम
4. प्रधानाध्यापक
5. वार्ड पंच
6. राशन डीलर
7. पटवारी
8. ग्राम सेवक
9. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता
10. अन्य कोई सरकारी कर्मचारी या कोई सामजिक संस्था जो गावं में कार्य कर रही है।

हस्ताक्षर
सरपंच
ग्राम पंचायत शरम
प.स. बिछीवाड़ा जिला डूगरपुर

अध्यक्ष विनादेवी

सचिव

प्रस्ताव कवरिंग लेटर

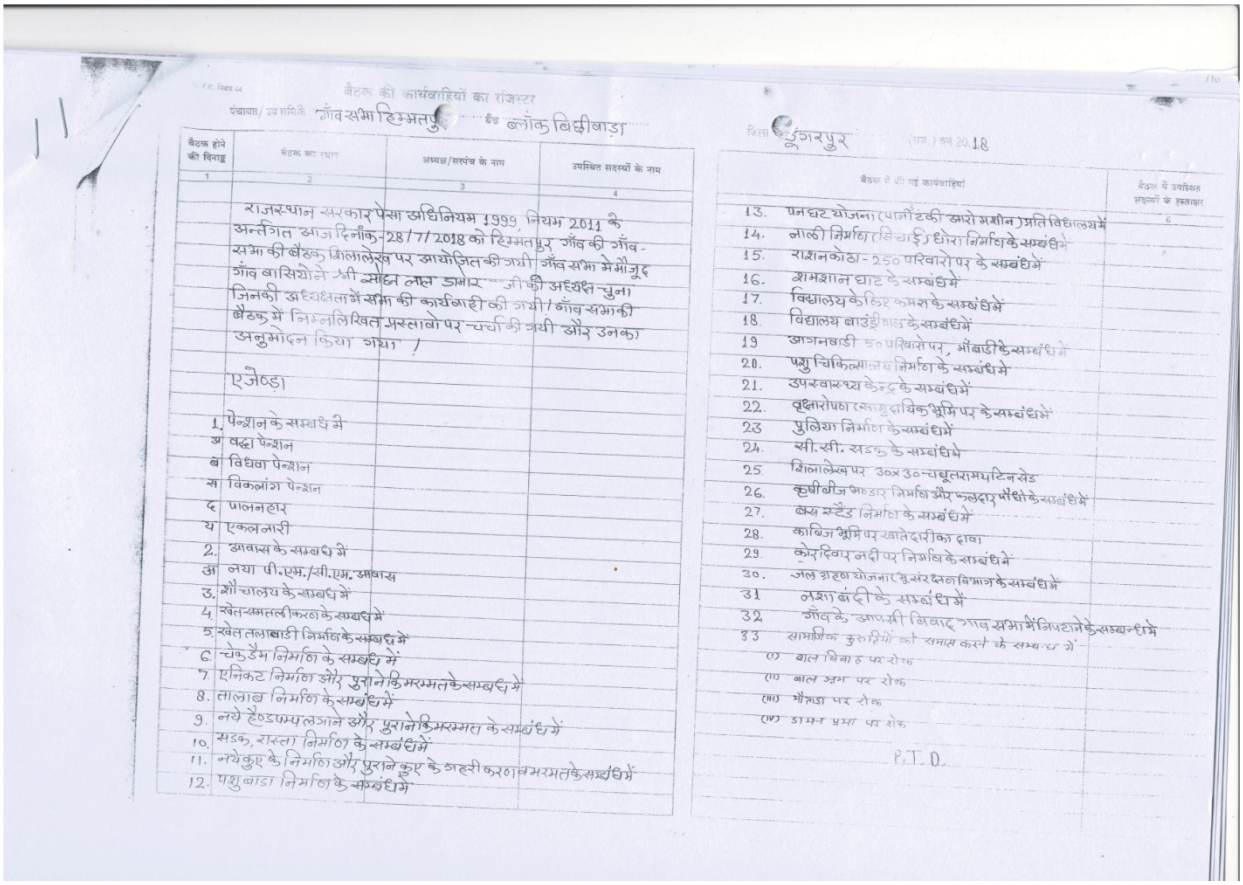

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत/उप समिति गाँव सभा हिम्मतपुर बैंच ब्लॉक बिछीवाड़ा — जिला डूंगरपुर (राज.) वर्ष 2018

| बैठक होने की दिनांक | बैठक का स्थान | अध्यक्ष/सरपंच के नाम | उपस्थित सदस्यों के नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

राजस्थान सरकार पेसा अधिनियम 1999, नियम 2011 के अन्तर्गत आज दिनांक-28/7/2018 को हिम्मतपुर गाँव की गाँव-सभा की बैठक शिलालेख पर आयोजित की गयी गाँव सभा मे मौजूद गाँव वासियो ने श्री सोहन लाल डामोर जी को अध्यक्ष चुना जिनकी अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही की गयी। गाँव सभा की बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावो पर चर्चा की गयी और उनका अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा

1. पेन्शन के सम्बध मे
अ वद्धा पेन्शन
ब विधवा पेन्शन
स विकलांग पेन्शन
द पालनहार
य एकल नारी
2. आवास के सम्बध में
अ नया पी.एम./सी.एम. आवास
3. शौचालय के सम्बध में
4. खेत समतलीकरण के सम्बध में
5. खेत तलाबाडी निर्माण के सम्बध मे
6. चेकडैम निर्माण के सम्बध में
7. एनिकट निर्माण और पुराने कि मरम्मत के सम्बध मे
8. तालाब निर्माण के सम्बंध मे
9. नये हैण्डपम्प लगाने और पुराने कि मरम्मत के सम्बंध में
10. सडक, रास्ता निर्माण के सम्बंध में
11. नये कुए के निर्माण और पुराने कुए के गहरीकरण व मरमत के सम्बंध में
12. पशु बाडा निर्माण के सम्बंध मे

| बैठक में की गई कार्यवाहियाँ | बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर |
|---|---|
| 5 | 6 |

13. पनघट योजना (पानी टंकी आरो मशीन) प्रति विद्यालय में
14. नाली निर्माण (सिंचाई) धोरा निर्माण के सम्बंध में
15. राशन कोठा - 250 परिवारो पर के सम्बंध में
16. शमशान घाट के सम्बंध मे
17. विद्यालय के लिए कमरा के सम्बंध मे
18. विद्यालय बाउंड्री वाल के सम्बंध में
19 आगनबाडी 50 परिवारो पर, आँगनबाडी के सम्बंध में
20. पशु चिकित्सालय निर्माण के सम्बंध मे
21. उपस्वास्थ्य केन्द्र के सम्बंध में
22. वृक्षारोपण (सामुदायिक भूमि पर के सम्बंध में
23 पुलिया निर्माण के सम्बंध में
24. सी.सी. सडक के सम्बंध मे
25 शिलालेख पर 30x30 चबूतरा मय टिन सेड
26. कृषी बीज भण्डार निर्माण और फलदार पौधो के सम्बंध में
27. बस स्टैंड निर्माण के सम्बंध में
28. काबिज भूमि पर खातेदारी का दावा
29. कोरदिवार नदी पर निर्माण के सम्बंध मे
30. जल ग्रहण योजना (भू संरक्षण विभाग के सम्बंध में
31 नशाबंदी के सम्बंध में
32 गाँव के आपसी विवाद गाव सभा में निपटाने के सम्बन्ध मे
33 सामाजिक कुरुतियों को समाप्त करने के सम्बन्ध में
(i) बाल विवाह पर रोक
(ii) बाल श्रम पर रोक
(iii) मौताडा पर रोक
(iv) डायन प्रथा पर रोक

P.T.O.

प्रस्ताव प्रथम पेज



बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

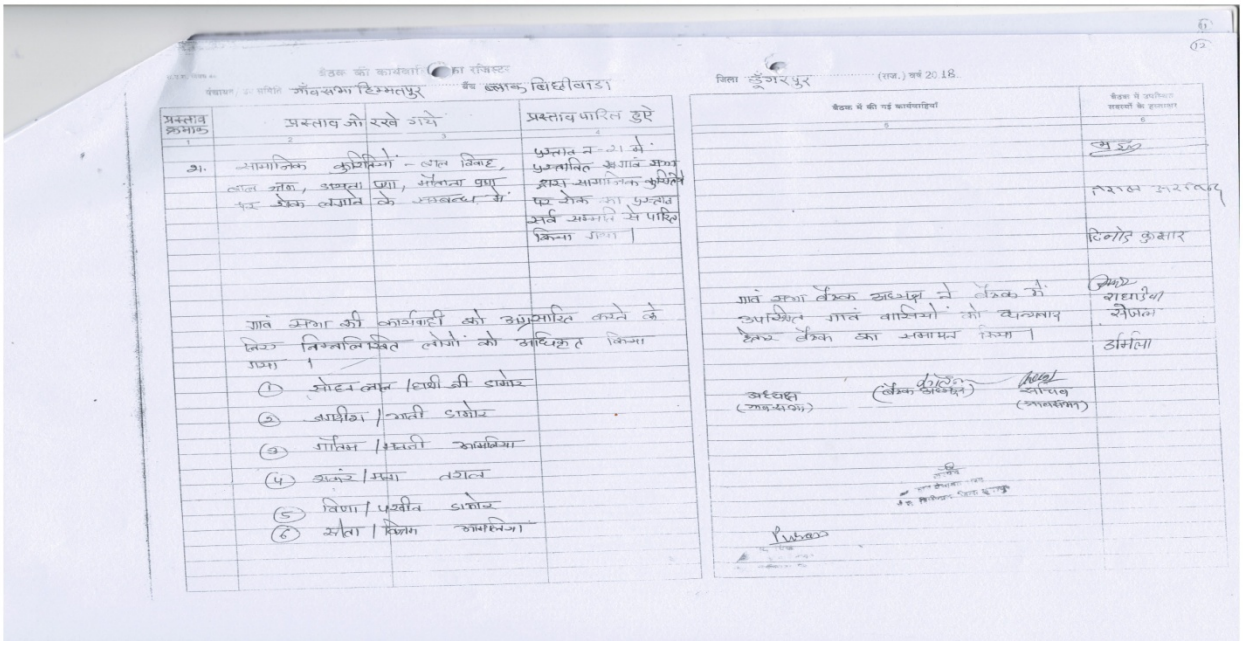

पंचायत/उप समिति गाँव सभा हिम्मतपुर बैंच ब्लाक बिछीवाडा — जिला डूंगरपुर (राज.) वर्ष 2018

| प्रस्ताव क्रमांक | प्रस्ताव जो रखे गये | प्रस्ताव पारित हुऐ |
|---|---|---|
| 1 | 2, 3 | 4 |
| 33. | सामाजिक कुरितियों - बाल विवाह, बाल श्रम, डायन प्रथा, मौताना प्रथा पर रोक लगाने के सम्बन्ध में | प्रस्ताव न - 33 में प्रस्तावित आगत सभा द्वारा सामाजिक कुरितियों पर रोक का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया। |

गाँव सभा की कार्यवाही को अग्रसारित करने के लिए निम्नलिखित लोगों को अधिकृत किया गया।

1. सोहन लाल / हाथी जी डामोर
2. आधीश / भाती डामोर
3. गौतम / मगनी आमलिया
4. शंकर / मगा तराल
5. विणा / प्रवीन डामोर
6. सीता / विक्रम आमलिया

| बैठक में की गई कार्यवाहियाँ | बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर |
|---|---|
| 5 | 6 |
| | [signature] |
| | [illegible] |
| | दिनेश कुमार |
| गाँव सभा बैठक अध्यक्ष ने बैठक में उपस्थित गाँव वासियों को धन्यवाद देकर बैठक का समापन किया। | राधाडेवी, सेजल |
| | उर्मिला |
| अध्यक्ष (गाव सभा) (बैठक अधिकारी) सचिव (ग्रामसभा) | |

प्रस्ताव अंतिम पेज

**विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी) –**

| | **नाम** | **फोन न.** |
|---|---|---|
| 1. | साहेबलाल s/o हाथीजी – | 9409312193 |
| 2. | वीणा डामोर w/o प्रवीण डामोर – | 7568081259 |